कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

संख्या–एम0ई0–3 / 2025 / 2205 लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर 2025

नीट एस0एस0 2021 (डी0एम0 / एम0सी0एच0) बैच के अभ्यर्थियों को अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत सहायक आचार्य के पद पर सेवायोजित किये जाने हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग के संबंध में पंजीकरण की समय–सारिणी एवं महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

शासनादेश संख्या–950 / 71–2–82 / 2017 दिनांक 07 मार्च 2018 (यथासंशोधित) एवं शासनादेश संख्या–I/1006892/2025 दिनांक 26.06.2025 में निहित निर्देशों के क्रम में **नीट एस0एस0 2021 (डी0एम0 / एम0सी0एच0) बैच** के अभ्यर्थियों को उनकी ऑल इण्डिया एस0एस0 रैंक के आधार पर ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से सहायक आचार्य के पद पर सेवायोजित किये जाने हेतु ऑनलाईन पंजीकरण की समय–सारिणी निम्नवत् हैः–

क्रंस	विवरण	तिथि	कुल दिवस
1	आनॅलाईन पंजीकरण की तिथि	दिनांक 16 सितम्बर 2025 (पूर्वान्ह 11:00 बजे) से दिनांक 22 सितम्बर 2025 (पूर्वान्ह 11:00 बजे) तक	06 दिवस
2	ऑन लाइन अभिलेखो के सत्यापन की तिथि	दिनांक 16 सितम्बर 2025 (पूर्वान्ह 11:00 बजे) से दिनांक 22 सितम्बर 2025 (अपरान्ह् 02:00 बजे) तक	07 दिवस

काउंसिलिंग हेतु महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश निम्नलिखित हैंः–

- ❖ उक्त काउंसिलिंग हेतु मेरिट सूची, च्वाईस फिलिंग, आवंटन परिणाम की घोषणा तथा आवंटित कालेज में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु समय–सारिणी पृथक से निर्गत की जाएगी।

- ❖ ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को वेबसाईट www.dgmeonlineposting.upsdc.gov.in पर log-in करते हुए अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

- ❖ नीट एस0एस0 2021 बैच के समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराते हुए काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना अनिवार्य है।

- ❖ अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड हेतु आयोजित की जाने वाली काउंसिलिंग में सहायक आचार्य के ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के रिक्त पदों को शासनादेश दिनांक 26.06.2025 में निहित निर्देशों के कम में अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित करते हुए आवंटन की कार्यवाही की जायेगी तथा किसी भी अभ्यर्थी को ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के आरक्षण का लाभ देय नही होगा।

- ❖ आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- ❖ आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे। भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रारूप पर जारी आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नही होंगे।

- ❖ अन्य पिछडा वर्ग (OBC) का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड की काउंसिलिंग प्रारम्भ होने की तिथि से 06 माह की अवधि के पूर्व के मान्य नही होंगे।

- ❖ आरक्षित वर्ग का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा आनलाईन पंजीकरण के समय आरक्षित वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमा्ण पत्र के सत्यापन की प्रकिया में यदि कोई भी सूचना कूटरचित पायी जाती है, तो सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा।

- ❖ यदि किसी अभ्यर्थी का आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाईन अभिलेखों के सत्यापन के समय सुसंगत नहीं पाया गया अथवा निर्धारित प्रारूप पर न होने की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत च्वाईस फिलिंग अनुमन्य होगी।

- ❖ ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में फैलोशिप/पी0डी0सी0सी0 अथवा अन्य समकक्ष पाठ्यकमों में इस कार्यालय से अनापत्ति प्राप्त कर अध्ययनरत हैं, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो शासन से अनापत्ति प्राप्त कर सहायक आचार्य के नियमित/संविदा के पदों पर कार्यरत हैं, इस काउंसिलिंग हेतु अर्ह नही हैं।

- ❖ अद्यतन सूचनाओं हेतु विभागीय वेबसाइट www.dgme.up.gov.in तथा एन0आई0सी0 की dgmeonlineposting.upsdc.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

Help Line Number: 8189011696, 8189011697
8189011698, 8189011699, 8189011700

कृते महानिदेशक।